

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— पुत्री विवाह अनुदान योजना
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण— विवाह की नियत तिथि से दो माह पूर्व से कम अवधि तथा विवाह सम्पन्न होने के छः माह तक बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत रू0 40,000/- की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। इस योजना का लाभ कम से कम 05 नियमित अंशदान जमा करने के पश्चात लाभ दिया जायेगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1—इस योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की केवल एक पुत्री को ही सुलभ होगी परन्तु यदि उसके कुल दो बच्चों में दोनो ही पुत्रियां हैं तो आर्थिक सहायता दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु अनुमन्य होगा। 2— **अभिलेख**— पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह कार्ड जो स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो, पुत्री यदि गोद ली हुई है तो उससे सम्बन्धित यथा प्रमाणित एवं सत्यापित अभिलेख, पुत्री तथा प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण—पत्र उन्होंने क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष की आयु (विवाह की नियत तिथि को) पूर्ण कर ली है, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल, लीविंग सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, लाभार्थी श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— **अक्षमता पेंशन योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. **योजना का संक्षिप्त विवरण—** पंजीकृत निर्माण कामगार की दुर्घटना अथवा बीमारी (लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, कैंसर) के कारण पूर्ण एवं स्थाई रूप से 50 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम होने की तिथि से प्रतिमाह एक हजार रू0 बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1- इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो। 2- इस योजना के अन्तर्गत लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं उपरोक्तानुसार अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि बोर्ड द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य पेंशन योजना की स्थिति में ऐसा लाभार्थी श्रमिक केवल उसी योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने का अधिकारी होगा जिसकी पेंशन धनराशि अधिक हो। 3- सहायता प्राप्त करने हेतु पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित हो जाने की स्थिति से 03 माह भीतर श्रम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त आवेदन पत्र 02 प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा। 4- आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।